इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 282] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 जुलाई 2021—आषाढ़ 17, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2021

एफ ए-3-27-2017-1-पांच (42).—राज्य सरकार मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-27-2017-1-पांच (54), दिनांक 30 जून 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में प्रथम परन्तुक में,—

(i) शब्दों, अक्षरों और अंकों "जिनको प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन जो स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्ट में निर्दिष्ट कर अवधि की उक्त विवरणी को नियत तारीख तक, देय कर के भुगतान के साथ, प्रस्तुत नहीं करते हैं", के स्थान पर, शब्दों "जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्ट में निर्दिष्ट कर अवधि के लिए नियत तारीख तक, कर का भुगतान करने में विफल रहते हैं" को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ii) तालिका में स्तंभ (4) के शीर्षक में, "कर अवधि" शब्दों, के स्थान पर, "माह/तिमाही" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(iii) निम्नलिखित को तालिका में क्र. सं. 3, 4, 5 और 6 में प्रतिस्थापित किया जायेगा:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो.	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत, उसके बाद 18 प्रतिशत.	मार्च 2021, अप्रैल 2021 और मई 2021

(1)	(2)	(3)	(4)
4	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हैं.	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पैंतालीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत.	मार्च 2021
		नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले तीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत.	अप्रैल 2021
		नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत.	मई 2021
5	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हैं.	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पैंतालीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत.	मार्च, 2021
		नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले तीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत.	अप्रैल, 2021
		नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पन्द्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत.	मई 2021
6	करदाता जो धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं.	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पैंतालीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत.	तिमाही जो मार्च 2021 को समाप्त हो रही है.".

2. इस अधिसूचना को मई, 2021 के 18वें दिन से लागू माना जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2021

एफ ए-3-27-2017-1-पांच (42).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-27-2017-1-पांच (42), दिनांक 8 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 8th July 2021

No. F-A-3-27-2017-1-V (42)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 50 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) read with Section 148 of the said Act, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F-A-3-27-2017-1-V(54), dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, in the first proviso,—

(i) for the words, letter sand figure "required to furnish the returns in FORM GSTR-3B, but fail to furnish the said return along with payment of tax", the words "liable to pay tax but fail to do so" shall be substituted;

(ii) in the Table, in column 4, in the heading, for the words "Tax period", the words "Month/Quarter" shall be substituted;

(iii) in the Table, for serial number 3, 4, 5 and 6 the following shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year.	9 percent for the first 15 days from the due date and 18 percent thereafter.	March, 2021, April, 2021 and May 2021
4.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under sub-section (l) of Section 39.	Nil for the first 15 days from the due date, 9 percent for the next 45 days, and 18 percent thereafter.	March, 2021,
		Nil for the first 15 days from the due date, 9 percent for the next 30 days, and 18 percent thereafter.	April, 2021,
		Nil for the first 15 days from the due date, 9 percent for the next 15 days, and 18 percent thereafter.	May, 2021,
5.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under proviso to sub-section (l) of Section 39.	Nil for the first 15 days from the due date, 9 percent for the next 45 days, and 18 percent thereafter.	March, 2021,
		Nil for the first 15 days from the due date, 9 percent for the next 30 days, and 18 percent thereafter.	April, 2021,
		Nil for the first 15 days from the due date, 9 percent for the next 15 days, and 18 percent thereafter.	May, 2021,
6.	Taxpayers who are liable to furnish the return as specified under sub-section (2) of Section 39.	Nil for the first 15 days from the due date, 9 percent for the next 45 days and 18 percent thereafter.	Quarter ending March 2021.".

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 18th day of May, 2021.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.